प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0इ0रि0सं0 185/24/2024 दिनांक 3-9-24
(I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.सं.
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम...धाराऐं.................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............32...............समय.....2:30 PM
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.......................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो........
पुलिस थाना..जिला..................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता.......................................
(य) पासपोर्ट संख्या.................................. जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय..
(ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही,
2. श्रीमती संध्या मनोहर चौहान पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
3. श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर के तत्समय पदाधिकारीगण
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (पैन नम्बर AEGPC0418L, आधार नम्बर 347966310962 एवं मोबाईल नम्बर) पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान जो मूल रूप से बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर का रहने वाला है व वर्तमान में भी उक्त पते पर परिवार सहित निवासरत है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी की जन्मतिथि 27.09.1973 है एवं संदिग्ध

अधिकारी मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2005 में भर्ती होने के पश्चात मोटर वाहन निरीक्षक पर पदोन्नति वर्ष 2012–13 होना भी सूत्रों से ज्ञात हुआ तथा वर्तमान में मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर जिला सिरोही में पदस्थापित होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के परिवारजनों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम	संदिग्ध अधिकारी से रिश्ता	व्यवसाय	पहचान आईडी क्रमांक PAN/ UIDAI
1	स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह	पिता	—	—
2	श्रीमती विमला देवी, आयु 70 वर्ष	माता	गृहणि	AEWPD3533M 4457 9105 8693
3	श्रीमती संध्या मनोहर चौहान जन्म दिनांक 10.12.1981 आयु 42 वर्ष	पत्नी	गृहणि	CFXPS8053K 3815 3545 7942
4	सुश्री आदर्शनी चौहान उम्र 19 वर्ष	पुत्री	अध्ययनरत	IMA2377638 (Voter ID)

संदिग्ध अधिकारी को निम्न परिसम्पत्तियां उपहार/वसीयत में अपने माता–पिता से प्राप्त होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है–

1- संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विमला देवी ने दिनांक 18 मार्च 2024 को एक प्लाट/फैक्ट्री नं0 जी–537, औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, सांगानेर, जयपुर उपहार स्वरूप संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के नाम किया जाना ज्ञात हुआ है जिसे श्रीमती विमला देवी के ससुर श्री भंवर सिंह ने श्रीमती विमला देवी के नाम वर्ष 2005 में बख्शीशनामा किया था।
2- संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विमला देवी ने एक प्लाट नं0 बी–62, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर (क्षेत्रफल 356.80 वर्गगज) उपहार स्वरूप दिनांक 18 मार्च 2024 को संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम करना पता चला है, जिस पर संदिग्ध अधिकारी परिवार सहित निवासरत है। जिसे श्रीमती विमला देवी द्वारा दिनांक 02.12.1995 को क्रय करना ज्ञात हुआ है।
3- संदिग्ध अधिकारी के दादा श्री भंवरसिंह पुत्र श्रीनारायण सिंह द्वारा 14.08.1989 को एक भूखण्ड बी–35, इन्द्रा कॉलोनी, दौसा (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) खरीदना पाया गया। जो संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह को विरासत में प्राप्त होना पाया गया, जो कि एक खाली प्लॉट है।

संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विमला देवी के नाम 8 एकड कृषि भूमि लालसोट दौसा में होना व चौपहिया वाहन 1–मारूती 800 नम्बर आरजे 14 सीए 3346 कीमत अनुमानित 2,50,000/रूपये, 2–टोयटा फोर्च्यूनर नम्बर आरजे 14 यूके 4040 कीमत अनुमानित 30,00,000/रूपये, 3–किया सेल्टोस नम्बर आरजे 45 सीएन 0800 कीमत अनुमानित 18,00,000/रूपये, 4–हुण्डई क्रेटा नम्बर आरजे 14 एक्ससी 4040 कीमत अनुमानित 16,00,000/रूपये, 5–दुपहिया वाहन बजाज प्लेटिना नम्बर आरजे 14 सीएल 7743 कीमत अनुमानित 60,000/रूपये (कुल वाहन कीमत–61,50,000/रूपये) स्वयं के आय के स्त्रोतों से खरीद करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है व संदिग्ध अधिकारी की माता के एसबीआई बैंक खाते में करीब 7,41,496 रूपये होना ज्ञात हुआ है, चूंकि संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विमला देवी द्वारा आयकर विवरणिका वर्ष 2014–15 से 2024–25 तक भरी गई हैं, आयकर विवरणिकाओं में स्वयं के विभिन्न स्त्रोतों यथा किराया, पेंशन, ब्याज व कृषि आय से लगभग 93,31,670/रूपये आय होना दर्शाया है। संदिग्ध अधिकारी की माता द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से अर्जित आय से स्वयं के नाम परिसम्पत्तियों को अर्जित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिस कारण संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती विमला देवी की परिसम्पत्तियों, आय व व्यय को सत्यापन में शामिल नहीं किया गया है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा राजकीय सेवा में आने के बाद स्वयं एवं स्वयं के परिजनो के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों व आय–व्यय का गोपनीय रूप से विभिन्न राजकीय उपक्रमों/सोसायटी एवं बैंक आदि से जानकारी की जाकर सत्यापन किया गया है।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा एक प्लॉट नम्बर 39 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा, जयपुर दिनांक 06.06.1996 को श्री शशि कुमार जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी से श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजिस्टर्ड नम्बर 2781/एल से जरिये पट्टा जरिये रसीद नम्बर ए–29664 खरीद करना ज्ञात हुआ व उक्त प्लॉट को दिनांक 16.05.2024 को श्री राधेश्याम सिंह तंवर पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह तंवर निवासी 77 वृन्दावन कॉलोनी खातीपुरा जयपुर को 20,40,000/रूपये में बेचान करना ज्ञात हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्लॉट की खरीद दिनांक 06.06.1996 को श्रीमती संध्या मनोहर चौहान की उम्र लगभग 14 साल 6 माह थी, जबकि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 06.06.1996 को संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के साथ नहीं हुआ था तथा नियमानुसार नाबालिग के नाम से सोसायटी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा एक प्लॉट नम्बर 40 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा जयपुर दिनांक 06.06.1996 को श्री कूंज बिहारी जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी से श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजिस्टर्ड नम्बर 2781/एल से जरिये पट्टा जरिये रसीद नम्बर ए–29665 खरीद करना ज्ञात हुआ व उक्त प्लॉट को दिनांक 16.05.2024 को श्रीमती कुंती देवी पत्नी श्री राधेश्याम सिंह निवासी 77 वृन्दावन कॉलोनी खातीपुरा जयपुर को 20,40,000/रूपये में बेचान करना ज्ञात हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्लॉट की खरीद दिनांक 06.06.1996 को श्रीमती संध्या मनोहर चौहान की उम्र लगभग 14 साल 6 माह थी, जबकि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 06.06.1996 को संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के साथ नहीं हुआ था तथा नियमानुसार नाबालिग के नाम से सोसायटी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। श्री देवराज सिंह निरीक्षक ऑडिट प्रधान कार्यालय सहकारी समितियां जयपुर द्वारा श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर का दिनांक 24.09.2016 को वर्ष 1986 से वर्ष 2006 तक का ऑडिट किया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ। अंकेक्षण रिपोर्ट में उक्त प्लॉट नम्बर 40 श्री कुंज बिहारी जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी के नाम प्रदर्शित है जबकि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा उक्त प्लॉट श्री कुंज बिहारी जोशी से दिनांक 06.06.1996 को खरीद करना बताया है। उक्त समस्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि प्लॉट नम्बर 40 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा जयपुर को संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा दिनांक 24.09.2016 के पश्चात पूर्व की दिनांक 06.06.1996 को श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर के मार्फत श्री कुंज बिहारी जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी से खरीद करने के कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाये गये थे। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर तत्समय पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके प्लॉट नम्बर 40 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा जयपुर को कूटरचित दस्तावेज तैयार करके व उक्त प्लॉट को दिनांक 16.05.2024 को विक्रय करके अवैध आय अर्जित करना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2005 से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वंय के नाम एक फ्लैट नं0 203, बोनी हाइटस, प्लाट नं0 26 से 35, शिव शक्ति विहार, सुखिया सांगानेर, जयपुर दिनांक 02.07.2015 को जरिये रजिस्ट्री 14,81,000 रूपये में खरीद करना व उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने में रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क अन्य के रूप में 74,050 रूपये व्यय करने का अनुमान है। जिसका सुपर बिल्डअप एरिया 1156.32 वर्गफीट (बिल्ट अप एरिया 925.05 वर्गफीट) है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त परिसम्पति को क्रय करने में 15,55,050 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	15,55,050 / रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के नाम एक मकान नं0 एए–6, (क्षेत्रफल 452.95 वर्गगज) उत्तरी भाग, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर वर्ष 2019 में जरिये रजिस्ट्री 45,00,000 / रूपये में खरीद करना व रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क अन्य के रूपये में 1,80,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने में 46,80,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त परिसम्पत्ति को संदिग्ध अधिकारी ने अपनी अमूर्त सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) में प्रदर्शित नहीं कर रखा है।	46,80,000 / रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम एक व्यवसायिक दुकान संख्या 27, आर.के पुरम, सीतापुरा रेलवे ब्रिज के पास, टोंक रोड, सीतापुरा, जयपुर (क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज) दिनांक 16.03.2016 को आर.के.पुरम हाउसिंग सोसायटी, जयपुर से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से 2,22,938 / रूपये में खरीद करना व रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क अन्य के रूपये में 15,910 रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने में 2,38,848 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,38,848 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के नाम एक दुकान नं0 15, (क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज) अम्बाबाड़ी शॉपिग सेन्टर, जयपुर वर्ष 2012 में जरिये रजिस्ट्री 85,24,276 / रूपये में खरीद करना व रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क अन्य में 3,40,980 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। जिस पर बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकण्ड फ्लोर एवं थर्ड फ्लोर पर निर्माण किया होना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने में 88,65,256 / रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त परिसम्पत्ति को संदिग्ध अधिकारी ने अपनी अमूर्त सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) में प्रदर्शित नहीं कर रखा है।	88,65,256 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या के नाम एक चौपहिया वाहन मारूती जीप्सी किंग बीएस–4 नम्बर आरजे 22 टीए 3654 दिनांक 15.11.2018 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन को खरीद करने में 5 लाख रूपये व्यय करने का अनुमान है। जिसे संदिग्ध अधिकारी द्वारा उपयोग में	5,00,000 / रूपये

	लेना ज्ञात हुआ है।	
6	संदिग्ध अधिकारी के नाम से एक्सिस बैंक में बचत खाता संख्या 920010021758788 होना ज्ञात हुआ है उक्त बचत खाता में 21,865/रूपये शेष बलैंस होना ज्ञात हुआ है।	21,865/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी के नाम से एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 51052209195 होना ज्ञात हुआ है उक्त बचत खाता में 33,79,799/रूपये शेष बलैंस होना ज्ञात हुआ है।	33,79,799/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के नाम से पीएनबी बैंक में बचत खाता संख्या 1586000100200049 होना ज्ञात हुआ है उक्त बचत खाता में 72,65,680/रूपये शेष बलैंस होना ज्ञात हुआ है।	72,65,680/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के नाम आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता संख्या 674501500865 होना ज्ञात हुआ है उक्त बचत खाता में 7125/रूपये शेष बलैंस होना ज्ञात हुआ है।	7,125/रूपये
	योग	2,65,13,623/रूपये

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र चौहान द्वारा चैक अवधि में आयकर कटौती के पश्चात् 52,18,443/रूपये शुद्व वेतन के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है।	52,18,443/रूपये
2.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान की वर्ष 2012–13 से लेकर वर्ष 2023–24 तक की आयकर विवरणिका में आयकर कटौती के पश्चात् 63,01,900/रूपये आय दर्शाना ज्ञात हुआ है।	63,01,900/रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम पीएनबी बैंक में होम लोन खाता संख्या 024700NC00022532 होना ज्ञात हुआ है व 20 लाख रूपये का होम लोन दिनांक 27.11.2019 को लेना ज्ञात हुआ है इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की होम लोन पेटे 20,00,000/रूपये आय होने का अनुमान है।	20,00,000/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा एक प्लॉट नम्बर 39 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा, जयपुर दिनांक 06.06.1996 को श्री शशि कुमार जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी से श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजिस्टर्ड नम्बर 2781/एल से जरिये पट्टा जरिये रसीद नम्बर ए–29664 खरीद करना ज्ञात हुआ व उक्त प्लॉट को दिनांक 16.05.2024 को श्री राधेश्याम सिंह तंवर पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह तंवर निवासी 77 वृन्दावन कॉलोनी खातीपुरा जयपुर को 20,40,000/रूपये में बेचान करना ज्ञात हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्लॉट की खरीद दिनांक 06.06.1996 को श्रीमती संध्या मनोहर चौहान की उम्र लगभग 14 साल 6 माह थी, जबकि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 06.06. 1996 को संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के साथ नहीं हुआ था। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने उक्त प्लॉट दिनांक 06.06.1996 को	8,40,000/रूपये

	खरीद नहीं करके बाद में किसी दिनांक को उक्त प्लॉट को सम्भावित वर्ष 2006 में तत्ससमय डीएलसी दर 3000 (लगभग) प्रतिगज के हिसाब से अनुमानित लगभग 12,00,000/रूपये में कूटरचना करके क्रय करना प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में 8,40,000/रूपये की आय होने का अनुमान है।	
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा एक प्लॉट नम्बर 40 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज) गोपालपुरी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास कनकपुरा जयपुर दिनांक 06.06.1996 को श्री कूंज बिहारी जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी से श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजिस्टर्ड नम्बर 2781/एल से जरिये पट्टा जरिये रसीद नम्बर ए–29665 खरीद करना ज्ञात हुआ व उक्त प्लॉट को दिनांक 16.05.2024 को श्रीमती कुंती देवी पत्नी श्री राधेश्याम सिंह निवासी 77 वृन्दावन कॉलोनी खातीपुरा जयपुर को 20,40,000/रूपये में बेचान करना ज्ञात हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्लॉट की खरीद दिनांक 06.06.1996 को श्रीमती संध्या मनोहर चौहान की उम्र लगभग 14 साल 6 माह थी, जबकि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 06.06.1996 को संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती संध्या मनोहर चौहान के साथ नहीं हुआ था तथा नियमानुसार नाबालिग के नाम से सोसायटी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। श्री देवराज सिंह निरीक्षक ऑडिट प्रधान कार्यालय सहकारी समितियां जयपुर द्वारा श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर का दिनांक 24.09.2016 को वर्ष 1986 से वर्ष 2006 तक का ऑडिट किया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ। अंकेक्षण रिपोर्ट में उक्त प्लॉट नम्बर 40 श्री कुंज बिहारी जोशी पुत्र श्री नटवर लाल जोशी के नाम प्रदर्शित है जबकि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा उक्त प्लॉट श्री कुंज बिहारी जोशी से दिनांक 06.06.1996 को खरीद करना बताया है। जबकि अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार व दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त प्लॉट नम्बर 40 को संदिग्ध अधिकारी की पत्नी द्वारा दिनांक 24.09.2016 के पश्चात खरीद करना ज्ञात हुआ है। चूंकि उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी की पत्नी ने दिनांक 16.05.2024 को 20,40,000/रूपये में बेचान कर दिया है, जबकि वर्ष 2016 के पश्चात उक्त प्लॉट की डीएलसी दर की कुल राशि वर्ष 2024 में विक्रय राशि के समान होना अनुमानित है। इस प्रकार उक्त प्लॉट को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने में संदिग्ध अधिकारी की पत्नी को किसी प्रकार की कोई आय नहीं होना अनुमानित है।	0
योग		1,43,60,343/रूपये

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही की चैक पिरियड वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक किया गया व्ययः–

क्रं सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में असत्यापनिक व्यय के रूप में शुद्ध आय का एक तिहाई हिस्सा 17,39,481/रूपये खर्च करने का अनुमान है।	17,39,481/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पुत्री सुश्री आदर्शनी चौहान को	15,00,000/रूपये

	उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा आदि के रूप में 15,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
3	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या के नाम पीएनबी बैंक में होम लोन खाता संख्या 024700NC00022532 होना ज्ञात हुआ है व 20 लाख रूपये का होम लोन दिनांक 27.11.2019 को लेना ज्ञात हुआ है। उक्त होम लोन पेटे मासिक किश्तों 18200 X 50 के रूप में अब तक पीएनबी बैंक में 9,72,000 रूपये रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी ने होम लोन पेटे मासिक किश्तो के रूप में 9,23,171 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	9,23,171 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या के नाम पीएनबी बैंक में मियादी लोन खाता संख्या 158600JE00000034 होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाते से दिनांक 13.09.2012 को 20,00,000 / रूपये लोन लेना ज्ञात हुआ है तथा दिनांक 31.05. 2016 को समस्त लोन राशि ब्याज सहित 27,52,837 चुकता करने के बाद लोन बन्द करवा दिया। संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त लोन पेटे 7,52,837 / रूपये ब्याज के रूप में बैंक को चुकता करना अनुमानित है।	7,52,837 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक अवधि में प्रयुक्त चौपहिया वाहन मारूति जिप्सी किंग बीएस–4 आरजे22 टीए3654 वर्ष 2018 के मेन्टनेंस, ईंधन, रखरखाव व इन्श्योरेन्स आदि पर लगभग 3,00,000 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	3,00,000 / रूपये
योग		52,15,489 / रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा चैक अवधि वर्ष 2005 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो **शून्य** है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा चैक अवधि वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य 2,65,13,623 / रूपये अनुमानित है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान व उसके परिजनों द्वारा चैक अवधि वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम 1,43,60,343 / रूपये आय अर्जित करने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा चैक अवधि वर्ष 2005 से खाना तलाशी दिनांक तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 52,15,489 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 2005 से अब तक के ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय 1,43,60,343 / रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 2,65,13,623 / रूपये एवं व्यय राशि 52,15,489 / रूपये पाई गई है। अतः सम्पत्ति तथा व्यय राशि का जोड 3,17,29,112 / रूपये में से उपरोक्त आय 1,43,60,343 / रूपये को घटाने पर 1,73,68,769 / रूपये की परिसम्पत्तियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 121 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों 1. मकान नम्बर बी–62, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर, 2. मकान नम्बर एए–6, उत्तरी भाग, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर, 3. दुकान नं0 15, अम्बाबाड़ी शॉपिंग सेन्टर, अम्बाबाडी, जयपुर, 4– प्लॉट नं0 जी–537, औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, सांगानेर, 5. संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय कक्ष कार्यालय मोटर वाहन निरीक्षक, परिवहन विभाग जिला सिरोही 6. श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर का कार्यालय पता बी–19 सैन कॉलोनी कबीर मार्ग जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही, श्रीमती संध्या मनोहर चौहान पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान व श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर के तत्समय पदाधिकारियों के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने व संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती संध्या मनोहर चौहान द्वारा श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्समय पदाधिकारियों से मिलीभगत से षडयंत्र करते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट कय करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

3/9/2024

(राजकुमार शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजकुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी बी–62 अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर हाल मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही, श्रीमती संध्या मनोहर चौहान पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान व श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 जयपुर के तत्समय पदाधिकारियों व अन्य के विरूद्ध अपराध संख्या 185/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री सुरेन्द्र पंचोली उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान विंग जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 1000–1004 दिनांक :– 03.09.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
4. श्री सुरेन्द्र पंचोली उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान विंग जयपुर।

(ज्ञान सिंह चौधरी)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर